

UPMT010016112026



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 03, मथुरा

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 757/2026

विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव बनाम उ.प्र. राज्य

आदेश

1. मुकदमा अपराध संख्या- 605/2017 धारा-420, 409, 406, 467, 468, 471 भा०दं०सं०, थाना- फरह, जिला- मथुरा के अभियुक्त **विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी रवीन्द्र दयाल शर्मा पुत्र श्रीचंद शर्मा, निवासी 221 मुरली विहार, शाहगंज आगरा- 10 द्वारा एक लिखित तहरीर विरुद्ध अभियुक्त जय कृष्ण राणा (प्रबंधक निदेशक कल्पतरु बिल्डटैक कार्पोरेशन लिमिटेड) थानाध्यक्ष, थाना-फरह, जिला-मथुरा को इस आशय की प्रेषित की गयी कि उक्त जयकृष्ण राणा द्वारा वादी व सर्वेन्द्र कुमार शर्मा से अलग- अलग क्रमशः 999 स्कवायर फीट व 425 स्कवायर फीट के दो फ्लैट/प्लॉट दिनांक 30.06.2013 एवं 14.06.2013 को बुक कराये थे। जिनकी धनराशि क्रमशः 40,000/-, 12,000/-, 210059.18/- एवं 8,00,000/- रुपये जमा की गयी। 35 महीने की राशि जमा करने के बाद जब वह ऑफिस पहुँचे तो बन्द पाया तो वह चुरमुरा ऑफिस गये जहाँ कोई नहीं था और ऑफिस सील था। अतः वादी मुकदमा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
3. उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त जयकिशन सिंह राणा के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं० 605/2017 अन्तर्गत धारा 406 भा०दं०सं० पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा-420, 409, 467, 468, 471 भा०दं०सं०की बढ़ोत्तरी की गयी।
4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई धोखाधड़ी/ठगी नहीं की गयी है, अभियुक्त निर्दोष है तथा मात्र तंग व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उक्त घटना में अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है तथा रिपोर्टकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन स्पष्ट नहीं दिखाया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त ने मुकदमा वादी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है और न ही वह मुकदमा वादी को जानता है। रिपोर्टकर्ता द्वारा मुकदमा झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर लिखाया गया है; अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है और वह निर्दोष है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 409, 406, 467, 468, 471

- आई.पी.सी. का अपराध नहीं बनता है तथा उसका उक्त मामले से कोई संबंध या सरोकार नहीं है। अभियुक्त साधारण व संभ्रांत परिवार से है, परिवार के पालन-पोषण की पूर्ण जिम्मेदारी उसी पर है तथा समाज में उसकी अच्छी छवि है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। यह उसकी प्रथम जमानत प्रार्थना है; अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अभियुक्त दिनांक 05/05/2022 से जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
 6. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।
 7. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधड़ी व दस्तावेजों की कूट रचना कर कथित घटना को अंजाम दिये जाने का अभियोग है। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए विवेचक द्वारा आरोप-पत्र सम्बंधित न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि समान प्रकृति के कई व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त की गयी है। थाने से आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त 46 अन्य समान प्रकृति के आपराधिक मामलों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। सह-अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।
 8. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण-दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तदुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।
 9. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 17.03.2026

(अरविन्द कुमार यादव-॥)
प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-03, मथुरा
ID- UP 6351